आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 25/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड रजिस्ट्रर्ड आफिस नम्बर 27, बी के सी सी–27 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलैक्स बांद्रा ईस्ट, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री गोपाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,
2. श्रीमती सरस्वती शर्मा पत्नी श्री गोपाल शर्मा,
   पता :– प्लॉट नं. 408, स्कीम श्री गोविन्द नगर द्वितीय, निवारू रोड़, जयपुर।
3. श्री भरत शर्मा,
4. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,
   पता :– प्लॉट नं. 408, स्कीम श्री गोविन्द नगर द्वितीय, निवारू रोड़, भरत गैस गोदाम, जयपुर।
5. पवन एन्टरप्राईजेज जरिये प्रोपराईटर श्री पवन शर्मा,
   पता :– शॉप नं. 11, आदर्श नगर, तेजाजी मंदिर वाली गली रोड़, गोकुलपुरा फाटक के पास, झोटवाड़ा, जयपुर।
6. संजना ब्यूटी पार्लर जरिये प्रोपराईटर श्रीमती सरस्वती शर्मा,
   पता :– केशव नगर, पवन फ्लोर मिल के पास, निवारू रोड़, वैध जी का चौराहा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :– श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 26.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था फुलर्टन इंडिया होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सुशीला देवी शर्मा पत्नी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नं. सी–408, श्री गोविन्द नगर द्वितीय, निवारू रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 95.00 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 29.10.2017 एवं 24.11.2017 को कुल राशि 26,56,052/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। फुलर्टन इंडिया होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड ने अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 28.03.2023 को जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को राशि 26,56,052/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 32,18,491.08/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.11.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सुशीला देवी शर्मा पत्नी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के स्वामित्व की बंधक सम्पति प्लॉट नं. सी–408, श्री गोविन्द नगर द्वितीय, निवारू रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 95.00 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 26.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner